"छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित की कार्य प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

(दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)

(2003–2012)

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

1.1 शोध परिचय– सहकारी समिति से आशय, आवश्यकता, अभ्युदय एवं विकास

1.2 शोध के उद्‌देश्य

(1) समिति द्वारा उपलब्ध किये जाने वाली साख सुविधाओं का अध्ययन

(2) समिति का प्रबंध संगठन एवं पूंजी संरचना का अध्ययन

(3) समिति की वित्तीय स्थिति का अध्ययन

(4) सर्वेक्षित सदस्यों का अध्ययन

(5) समिति की प्रगति उपलब्धि तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समिति की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन

1.3 अध्ययन का क्षेत्र

1.4 शोध परिकल्पनायें

1.5 शोध प्रविधि

1.6 शोध की सीमायें

1.7 शोध का संभाव्य योगदान

द्वितीय अध्याय

2.1 दुर्ग जिले का संक्षिप्त परिचय

तृतीय अध्याय

1. छ.ग. सहकारी साख समिति मर्या. का संगठन
2. छ.ग. सहकारी साख समिति मर्या. का प्रबंध
3. छ.ग. सहकारी साख समिति मर्या. की पूंजी संरचना

चतुर्थ अध्याय

1. समिति द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण की प्रक्रिया
2. समिति द्वारा प्रदत्त ऋणों का विश्लेषण
3. ऋण की ब्याज दर का तुलनात्मक अध्ययन
4. जमा संग्रहण योजनायें एवं ब्याज दरें
5. सदस्यों की बीमा योजना
6. लाभांश वितरण व लाभांश की दरें

पंचम अध्याय

1. छ.ग. सहकारी साख समिति मर्या. की लेखाविधि
2. लाभ–हानि और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण
3. प्रमुख लेखांकन अनुपात
4. अंकेक्षण व निरीक्षण

षष्ठम अध्याय

1. छ.ग. सहकारी साख समिति मर्या. के जनकल्याणकारी कार्यों का मूल्यांकन

सप्तम अध्याय

सर्वेक्षित सदस्यों का अध्ययन

अष्ठम अध्याय

छ.ग. सहकारी साख समिति की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में

विभिन्न वर्गों के विचार

1. कर्मचारी वर्ग
2. प्रबंधक वर्ग
3. अंशधारी एवं सदस्य
4. जनप्रतिनिधि वर्ग

नवम् अध्याय

छ.ग. सहकारी साख समिति मर्या. की समस्यायें

दशम् अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

"छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित की कार्य प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन"

(दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)

(2003—2012)

शोध सारांश

सहकारिता ने पारस्परिक सहयोग द्वारा मानव के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। यह निर्माण का सार्वभौमिक उपकरण है। एक सहकारी समिति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति करने में संलग्न व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो लोकतंत्र और सामूहिक स्वामित्व के सिद्धांतों पर कार्य करता है।

सहकारिता की भावना के अनुरूप छ.ग. सहकारी साख मर्यादित में स्थापना वर्ष 1976 से अपनी सदस्यों की आर्थिक उन्नति के श्रेष्ठ उद्‌देश्य को प्राप्त करने के साथ ही अपने कार्य क्षेत्र के व्यापक विस्तार करने में सफल रही है। समिति ने नियमित और आकस्मिक दुर्घटना बीमा से लाभान्वित किया है। समिति द्वारा कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत अनेकानेक कल्याणकारी कार्यो को मूर्त रूप दिया है। छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित पर क्योंकि वर्तमान तक शोध कार्य अधूरे रहे हैं। अतः मैनें इस विषय को

शोधकार्य के लिए चुना है। समिति के द्वारा दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, अनुशासान और तन, मन और वचन से एक होकर बिना किसी भेदभाव के निःस्वार्थ सेवारत रहते हुए सदस्यों के आर्थिक विकास और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न रचनात्मक और प्रेरणादायी कार्य किए हैं। इन्हीं कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर महत्वपूर्ण सुझाव दिया जाना इस शोध का मूल उद्देश्य है ताकि इन सुझावों से समिति अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। समिति के द्वारा ऋण के नियम, सदस्य समूह बीमा, व्यक्तित्व दुर्घटना बीमा, कल्याणकारी योजनाएं, कुटुम्ब कल्याण कोष आदि पर प्रकाश डाला जाना है।

दिसम्बर 1976 में पंजीकृत इस सहकारी समिति ने वर्ष 2005–06 में विभिन्न शाखाओं के माध्यम से लगभग 8 करोड की पूंजी एकत्र की थी जो वर्ष 2010–11 तक बढ़कर लगभग 13 करोड़ रूपये हो गयी। वर्ष 2011–12 में यह पूंजी 15 करोड़ रू. हो गयी। अंशपूंजी में भिलाई मुख्यालय सहित कुल 6 शाखाओं के माध्यम से यह समिति संचालित है। जिसमें 2005–06 में कुल 411 सदस्य थे जबकि 2007–08 में घटकर 282 रहे। यह कमी सेवानिवृत्त तथा मृत सदस्यों के कारण है। वर्ष 2007–08 में सदस्य संख्या 13,922 थी।

वर्ष 2008–09 में 13,973 हो गई। वर्तमान में वर्ष 2010–11 में सदस्य संख्या 13,177 है एवं वर्ष 2011–12 में सदस्य संख्या घटकर 12,817 रह गई है।

विगत कई वर्षों से विभिन्न आर्थिक उतार चढ़ाव के साथ अपने प्रतिद्वंदी सहकारी समितियों की तुलना में ऋण नियम, ऋण की अधिकतम और न्यूनतम सीमा एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हुए सदस्यों के हितों और सुविधा को महत्व देकर अपनी प्रगति की गति को बनाये रखने में समिति सक्षम हुई है । भिलाई मुख्यालय के दल्लीराजहरा, नंदिनी, बी.आर.पी. रिसाली और सुपेला में शाखाएं है।

प्रथम अध्याय के अंतर्गत शोध परिचय, अध्ययन का महत्व, उद्देश्य, प्रविधि परिकल्पनायें, कार्यक्षेत्र तथा सीमाओं के साथ साहित्य समीक्षा प्रस्तुत की गई है।

शोध परिचय के अंतर्गत सहकारी साख समिति का आशय, आवश्यकता, अभ्युदय एवं विकास को स्पष्ट किया गया है।

अध्ययन के महत्व के अन्तर्गत शोध प्रबंध के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट किया गया है। शोध के उद्देश्य के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति द्वारा उपलब्ध किये जाने वाली साख सुविधाओं का अध्ययन, साख

समिति का प्रबंध संगठन एवं पूंजी संरचना का अध्ययन, साख समिति की वित्तीय स्थिति का अध्ययन, सर्वेक्षित सदस्यों का अध्ययन, समिति की प्रगति, उपलब्धि तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समिति की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, सहकारी साख समिति के कार्यकलाप, प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। प्रविधि के अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों को लिया गया है। सारणीयन एवं विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकाले गए हैं एवं साख्यिकी विधियों, प्रमाप विचलन, सह–संबंध, निर्देशांक, निधि के साधन, उपयोग, प्रवृत्ति मूल्य आदि तकनीकों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन की मान्यता में विभिन्न मान्यताओं को परिकल्पना के रूप में स्वीकार किया गया है।

इस अध्ययन का कार्यक्षेत्र जिला दुर्ग है एवं सीमाओं के अन्तर्गत 2003 से 2012 तक विश्लेषण प्रस्तुत है। साहित्य समीक्षा में विभिन्न विद्वानों, लेखकों, शोधकर्ताओं द्वारा इस विषय में किए गए शोधों से प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या की गयी है।

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत दुर्ग जिले का परिचय इसका नामकरण, भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक रचना, जलवायु, वर्षा, तापमान, नदियां, सिचाई साधन, वन सम्पदा, दुर्ग जिले के खनिज संपदा, साक्षरता की स्थिति 2011 के अनुसार जनसंख्या, यातायात व दूरसंचार के साधन, निर्वाचन क्षेत्र भूमि, दुर्ग

जिले का औद्योगिक परिचय तहसील एवं विकासखंडों का संक्षिप्त विवरण, दुर्ग जिले की कृषि फसलों आदि का वर्णन किया गया है।

तृतीय अध्याय के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित का इतिहास एवं उद्देश्य, छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित का संगठन, प्रबंध एवं पूंजी संरचना, इन साख समितियों के कार्य, इन साख

समितियों के पुनर्गठन हेतु समितियां, इन साख समितियों की आवश्यकता एवं प्रादुर्भाव की व्याख्या की गई है।

भारत के संदर्भ के अन्तर्गत इन साख समितियों की प्रगति, शाखा विस्तार, भौगोलिक फैलाव, पूंजी बाजार, ऋण एवं अग्रिम विनियोग पुनर्गठन एवं एकीकरण प्रक्रिया, इन साख समितियों के निष्पादन की व्याख्या की गई है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में इन सहकारी साख समितियों की स्थिति एवं वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित का उद्‌भव एवं विकास, कार्यक्षेत्र, शाखा प्रबंधन एवं शाखा विस्तार, साख समितियों की अन्य साख समितियों से विभिन्नता के कारण, प्रबंध एवं प्रशासकीय व्यवस्था की व्याख्या की गयी है।

चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत वित्तीय प्रबंध की अवधारणा एवं सैद्धातिक विश्लेषण किया गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण की प्रक्रिया, साख समिति द्वारा प्रदान किये गए ऋणों का विश्लेषण, ऋण की ब्याजदर का तुलनात्मक अध्ययन, जमा संग्रहण योजनाएं एवं ब्याज दरों का तुलनात्मक विश्लेषण, सदस्यों की बीमा योजनाएं एवं लाभ वितरण तथा लाभांश की दरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। प्राधिकृत एवं प्रदत्त अंशपूंजी में अंशपूंजी जमा इन संस्थाओं का 2003–2012 तक का हिस्सा, इसकी साख समिति की कार्यशील पूंजी संरचना, पुर्नवित्त की सीमाएं, पात्रता, प्रयोजन, मानदण्ड, ब्याजदर, वसूली एवं 2003 से 2012 तक प्राप्त पुर्नवित्त का विश्लेषण पुर्नवित्त प्राप्ति, अदायगी और इन पर देय ब्याज की व्याख्या का विश्लेषण किया गया है। इस अध्याय के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में सहकारी साख समितियों के निधियों के प्रमुख स्त्रोतों की विस्तृत व्याख्या की गई है एवं छत्तीसगढ़ सहकारी साख समितियों के संदर्भ में इन निधियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत लाभांश वितरण एवं लाभांश दरों की व्याख्या भी की गई है।

पंचम अध्याय के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित की लाभदायकता की व्याख्या की गयी हैं इसके अन्तर्गत आय प्रवृत्ति विश्लेषण द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित की आय, अर्जित

व्याज एवं अन्य आय एवं कुल आय का विश्लेषण 2003–2012 तक किया गया है। व्यय प्रवृत्ति विश्लेषण के अन्तर्गत व्यय किया गया ब्याज, परिचालन व्यय, प्रावधान एवं कुल व्यय का विश्लेषण 2003 से 2012 तक किया गया है। इसके पश्चात लाभ–हानि विश्लेषण किया गया है, लाभदायकता की अवधारणा, मापने की विधि, निम्न लाभदायकता के कारण लाभदायकता को प्रभावित करने वाले तत्व बताये गये हैं। अनुपात विश्लेषण के अन्तर्गत व्यवसाय, अनुपातों, वित्तीय अनुपातों, आय–व्यय अनुपात, उत्पादकता अनुपात, गैर निष्पादक संपत्तियों की स्थिति इन छत्तीसगढ़ सहकारी साख समितियों के कार्य, परिणाम एवं आस्तियों के वर्गीकरण की व्याख्या एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अंत में इस छत्तीसगढ़ साख समिति के पंजीयन, आन्तरिक एवं वाह्य नियम, लेखा विधि, अन्तिम खाते एवं इस छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित में होने वाले अंकेक्षण पद्धति की व्याख्या की गई है।

षष्ठम अध्याय के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित भिलाई जिला दुर्ग के जनकल्याणकारी कार्यों का मूल्यांकन किया गया है।

सप्तम अध्याय के अन्तर्गत सर्वेक्षित सदस्यों का अध्ययन किया गया है।

अष्ठम अध्याय के अन्तर्गत छ.ग. सहकारी साख समिति मर्यादित की कार्यप्रणाली के संदर्भ में विभिन्न वर्गों के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। इनमें कर्मचारी वर्ग, प्रबंधन वर्ग, अंशधारी एवं सदस्यों के विचार तथा जनप्रतिनिधि वर्ग को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित व्यक्ति और संगठन के विचारों को भी शामिल किया गया है।

नवम् अध्याय के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रबंधकीय समस्या के अन्तर्गत इन समितियों का विशिष्ट स्वरूप, अन्य संस्थाओं से समन्वय की समस्या,प्रबंधन समस्या की व्याख्या की गई है। सहकारी साख संबंधी समस्या के अन्तर्गत सगठनात्मक समस्या, कार्मिक समस्या, वित्तीय समस्या, कार्यात्मक समस्या, ऋण वसूली संबंधी समस्या को स्पष्ट किया गया है। जमाकर्ता एवं ग्राहक स्तर की विभिन्न समस्याओं, जनप्रतिनिधी एवं अन्य वर्ग की समस्याएं, प्रयोजक साख समितियों की विभिन्न समझयाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

दशम् अध्याय के अन्तर्गत निष्कर्ष एवं सुझाव दिए गए हैं । इस अध्याय में शोध अध्ययन के निष्कर्षों को 4 भागों में बांटा गया है–

1. सफलता
2. असफलता
3. सर्वेक्षण आधारित निष्कर्ष
4. अन्य तथ्य

सफलता के अन्तर्गत शाखा विस्तार, अंशपूंजी, कार्यशील पूंजी, जमा राशि, लाभ प्रतिशाखा, उत्पादकता, ऋण वितरण, वसूली निष्पादन निवेश, सहकारी क्लबों, स्वयं सहायता समूहों में वृद्धि, संचयी हानियों में कमी, कोर साख प्रणाली लागू होना, ग्राहक क्रेडिट कार्ड, वित्तीय समावेशन, बीमा व्यवसाय से आय आदि सकारात्मक परिणामों को दिखाया गया है।

असफलता के अन्तर्गत ऋण वितरण एवं ऋण योजनाएं, ऋण वितरण एवं ऋण अदायगी का अध्ययन, ऋण एवं उसके प्रकार, ऋण वितरण क्षेत्र, उद्‌देश्यानुसार ऋण, ऋण के दुरूपयोग पर की गई नियंत्रण के उपाय की विस्तृत व्याख्या की गई हैं। ऋण वितरण के अन्तर्गत ऋण के लक्ष्य एवं उपलब्धि विभिन्न क्षेत्रों को वितरित ऋण प्राथमिकता, गैर प्राथमिकता, कुल ऋण वितरण के प्रवृत्ति मूल्यों की गणना की गयी है। इस अध्याय के दूसरे भाग के रूप में ऋण वसूली एवं प्रदायगी, वसूली की प्रक्रिया एवं वसूली अवधि विश्लेषण 2003–2012 तक ऋण वसूली, दुर्ग जिले में ऋण वसूली की स्थिति,

कालातीत ऋणों का विश्लेषण किया गया है। ऋण वसूली कम होने के कारण एवं वसूली बढ़ाने हेतु उपाय सुझाएं गए है। इस अध्याय के अंत में साख समिति की प्रबंध एवं प्रगति के अन्तर्गत, जमा, कम्प्यूटरीकरण, उत्पादकता, ऋण वितरण, लाभ–हानि विश्लेषण, संचयी हानियों में कमी, निवेश में वृद्धि, सहकारी क्लब, स्वयं सहायकता समूह, कोर बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, बीमा व्यवसाय, गैर पूंजीगत व्यवसाय आदि सकारात्मक प्रवृत्तियों को बताया गया है।

शाखा विस्तार के अन्तर्गत प्रारंभ में 5 शाखाएं थी जो वर्ष 2012 में 06 हो गई। भिलाई मुख्यालय में वर्ष 2005–06 में 5 करोड़ रूपये की अंशपूंजी संचित थी जो वर्ष 2011–12 में बढ़कर लगभग 9 करोड़ 27 लाख 52 हजार रूपये हो गई, अर्थात 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दल्लीराजहरा में वर्ष 2005–06 में 1.40 करोड़ रूपये की अंशपूंजी थी, जो वर्ष 2011–12 में लगभग 2.46 करोड़ रूपये हो गई।

यह पूंजी नंदिनी में वर्ष 2005–06 में 29 लाख रूपये थी, जो वर्ष 2010–11 में घटकर 41,550 हो गई। शाखा बी.आर.पी. में लगभग 2 लाख रूपये की अंशपूंजी थी जो वर्ष 2010–11 में घटकर 17,900 रूपये हो गई।

शाखा रिसाली में लगभग 62 लाख रूपये की अंश पूंजी घटकर वर्ष 2010–11 में 1 लाख 32 हजार रूपये हो गई। सुपेला शाखा में वर्ष 2005–06 में पूंजी 21,51,880 रूपये थी जो वर्ष 2010–11 में घटकर 38,700 रूपये हो गई। वर्ष 2011–12 में छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित की कुल पूंजी 13 लाख रूपये है।

स्पष्ट है कि भिलाई, दल्लीराजहरा शाखा में पूंजी में निरंतर वृद्धि हुई है, जबकि शेष शाखाओं में यह कम रही।

समिति आवर्ती जमाओं के माध्यम से सदस्यों को लाभान्वित करती है। वर्ष 2006–07 में आवर्ती जमा कुल राशि लगभग 16 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2008–09 में बढ़कर 19 करोड़ रूपये हो गई। यह वृद्धि इस बात का सूचक है कि समिति ने लोगों में बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है।

भिलाई मुख्यालय में वर्ष 2006–07 में आवर्ती जमा 11 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2008–09 में बढ़कर 13 करोड़ रूपये हो गई। 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दल्लीराजहरा शाखा में वर्ष 2006–07 में 2.65 करोड़ जमा हुए जो वर्ष 2008–09 में 3 करोड़ हो गये, अर्थात 11 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

नंदिनी शाखा में 55 लाख से बढ़कर 70 लाख रूपये हो गये। बी.आर. पी. शाखा में आवर्ती अमानत कम हुई है।

यह वर्ष 2006–07 में 10.49 लाख थी। जो कम होकर 10.34 लाख रूपये हो गई। वर्ष 2006–07 में रिसाली शाखा में आवर्ती जमा लगभग 1.41 करोड़ थी जो वर्ष 2008–09 में 1.75 करोड़ रूपये लगभग बढ़कर हो गई ।

शाखा सुपेला में वर्ष 2006–07 में आवर्ती जमा 56 लाख 12 हजार रूपये लगभग थी जो बढ़कर वर्ष 2008–09 में 71 लाख 85 हजार रूपये हो गई, अर्थात 22 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

इस प्रकार आवर्ती जमा सभी शाखाओं में बढ़ती ही रही और सार्वधिक वृद्धि भिलाई मुख्यालय में रही। इसके उपरान्त दल्लीराजहरा शाखा में बढ़ोत्तरी हुई जबकि बी.आर.पी. शाखा में सबसे कम बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2011–12 में छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति की आवर्ती अमानत 23.93 करोड़ रूपये है। समिति का मूल उद्‌देश्य ऋण वितरण करना है। इसका अवलोकन करने पर पाया गया कि भिलाई मुख्यालय में वर्ष 2005–06 में 15 करोड़ 35 लाख लगभग ऋण वितरण किया गया जो क्रमशः बढ़कर वर्ष 2008–09 में 13 करोड़ 94 लाख के लगभग हो गया। यह वितरण शाखा समिति की सभी शाखाओं से सर्वाधिक हैं।

दल्लीराजहरा शाखा में वर्ष 2005–06 में 4 करोड़ 45 लाख लगभग ऋण वितरित किया जो कि वर्ष 2008–09 में 5 करोड़ 32 लाख रूपये लगभग बढ़कर हो गया। 16 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

नंदिनी शाखा में ऋण का वितरण वर्ष 2005–06 में 1 करोड़ 33 लाख रू. लगभग रहा जबकि वर्ष 2007–08 में 1 करोड़ 73 लाख रूपये था जबकि 2008–09 में कम होकर 1 करोड़ 11 लाख रूपये हो गया। बी.आर.पी. शाखा में ऋण का वितरण वर्ष 2005–06 में 98 हजार रूपये था जो बढ़कर वर्ष 2008–09 में 9 लाख 22 हजार हो गया। रिसाली शाखा में ऋण का वितरण वर्ष 2005–06 में 2 करोड़ 36 लाख 68 हजार रूपये था जो 2008–09 में कम होकर 2 करोड़ 20 लाख रूपये रहा। सुपेला शाखा में ऋण का वितरण वर्ष 2005–06 में 74 लाख 73 हजार रूपये था जो कम होकर 71 लाख 94 हजार रूपये हो गया। जबकि 2007–08 में 85 लाख 86 हजार रूपये था। वर्ष 2011–12 में छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति ने 42.96 करोड़ रू. ऋण का वितरण किया, अर्थात 98 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

साख समिति के सदस्यों को ऋण भुगतान की प्रवृत्ति प्रत्येक शाखा के ऋण शेष से पता लगाया जा सकता था। ऋण वापसी समिति के सदस्यों की साख समिति के प्रति उनकी विश्वसनीयता को बताती है। वर्ष 2006–07 में भिलाई मुख्यालय के ऋण शेष लगभग 22 करोड़ 97 लाख रूपये थी जो

2008–09 में लगभग 29 लाख 51 हजार रूपये रहा। दल्लीराजहरा शाखा के ऋण शेष वर्ष 2006–07 में 7 करोड़ 45 लाख रूपये लगभग था जो वर्ष 2008–09 में 8 करोड़ 92 लाख रूपये हो गया। नंदिनी शाखा के ऋण शेष वर्ष 2006–07 में 1 करोड़ 28 लाख रूपये लगभग था जो वर्ष 2008–09 में 1 करोड़ 26 लाख रूपये हो गया । रिसाली शाखा के ऋण शेष वर्ष 2006–07 में 2 करोड़ 92 लाख रूपये लगभग था जो वर्ष 2008–09 में 4 करोड़ लगभग हो गया। इस शाखा में ऋण शेष लगभग अधिक रहा। सुपेला शाखा के ऋण शेष 97 लाख 46 हजार रूपये था जो कि वर्ष 2008–09 में 1 करोड़ 51 लाख रूपये लगभग हो गया। वर्ष 2011–12 में ऋण शेष 68.66 करोड़ रूपये था।

समिति के सदस्यों को अमानत पूंजी की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह सुविधा वर्ष 2007–08 से शुरू हुई है। इसका उद्देश्य संस्था की पूंजी को फिक्स अमानत के रूप में बनाये रखना है जिससे सदस्यों को आवश्यकतानुसार ऋण वितरण किया जा सके। वर्ष 2011–12 में छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति की फिक्स अमानत पूंजी 14.06 करोड़ रूपये थी। इसमें भिलाई मुख्यालय की फिक्स अमानत पूंजी 9.27 करोड़ रूपये है, जो शेष शाखाओं से सर्वाधिक है। इसके बाद दल्लीराजहरा की फिक्स अमानत पूंजी 2.46 करोड़ रूपये, रिसाली शाखा की 1.30 करोड़ रूपये, नंदिनी शाखा की 55 लाख रूपये तथा सुपेला शाखा की 45 लाख रूपये है। सबसे कम फिक्स

अमानत पूंजी बी.आर.पी. शाखा की 2.51 लाख है। संस्था में लागू ऋण नियम बहुत सरल एवं सुविधाजनक है। सदस्य दो दिनों के अंदर ऋण आवेदन लेकर नियमित ऋण ले सकता है। माह जून 2010 से सदस्यों को नये ऋण नियम के अन्तर्गत न्यूनतम 30 हजार रूपये एवं अधिकतम 5 लाख रूपये नियमित ऋण भुगतान किया जा रहा है। समिति द्वारा लागू ऋण नियम को सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक आदर्श ऋण नियम घोषित किया गया हैं इसके अतिरिक्त एक बार नियमित ऋण लेने के बाद आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक ऋण भी प्रदान किया जाता है। उपभोक्ता सामग्री, दो पहिया वाहन, कूलर, टी.वी., फ्रीज आदि क्रय करने हेतु उपभोक्ता सामग्री ऋण प्रदान किये जाते हैं।

संस्था द्वारा कुटुम्ब कल्याण कोष के माध्यम से मृत सदस्य के उत्तराधिकारी को 20 हजार रूपये और मेडिकल अनफिट होने पर 10 हजार सहायता राशि दी जाती है। 60 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने पर अधिकतम राशि 19000 रूपये प्रदान की जा रही है।

2007–08 में संस्था द्वारा 68 मृत सदस्यों के उत्तराधिकारियों को कुल 13,55,000 रूपये और 390 सदस्यों को सेवा निवृत्ति के बाद कुल 12,89,031 रूपये का सहायतार्थ राशि भुगतान किया गया जबकि 2010–11 तक कुल 69 मृत सदस्यों के उत्तराधिकारियों को 13,80,000 रूपये और 632 सेवा निवृत्त

सदस्यों को 27,74,346 रूपये और मेडिकल अनफिट सदस्यों को 9 लाख रूपये सहायतार्थ राशि का प्रदान की गई। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समिति ने अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ऋण संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए। संस्था के हित में सदस्यों के लिए किये गये कार्य प्रशंसनीय है।

इन सब सकारात्मक संकेतों से यह ज्ञात होता है कि साख समिति का वित्तिय प्रबंध श्रेष्ठ रहा है।

सुझाव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति की लाभदायकता बढ़ाने हेतु सुझाव, प्रबंधकीय सुझाव, कर्मचारी स्तर के सुझाव, ऋण वितरण एवं वसूली संबंधी सुझाव, जमाकर्ता एवं सदस्य स्तर से संबंधित सुझाव एवं अन्य सुझाव दिये गये –

अन्य सुझाव –

1 समिति के कार्यों तथा लेखों के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर समिति के लिए कुछ लाभकारी सुझाव दिये जा सकते हैं। इन सुझावों से निःसंदेह समिति लाभान्वित होगी।

2. कर्मचारियों को दिये जाने वाले यात्रा अवकाश व्ययों को कम किया जाना चाहिए।

3. लेखे इस प्रकार रखा जाए ताकि अंकेक्षण की रिपोर्ट में किसी भी त्रुटि का उल्लेख न हो इससे समिति के सभी लेखे सत्य तथा उचित प्रतीत होंगे।

4. समिति द्वारा सभाओं के व्यय कम किये जाने चाहिए ताकि मितव्ययी व्ययों से लाभ बढ़ सके।

5. कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम और इस पर ब्याज की वसूली प्रतिवर्ष निर्धारित अनुपात में होनी चाहिए।

6. ऋणों की वसूली के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए जिससे अशोध्य ऋणों में कमी होगी।

7. सदस्यों के लिए भविष्य में आवास ऋण सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जिससे सदस्य संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

8. कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होना चाहिए जिससे भविष्य में उनकी कार्यप्रणाली का स्तर ऊंचा होगा।

9. समिति के द्वारा दो नई शाखाओं खुर्सीपार और सेक्टर 10 का शुभारंभ किया गया है। इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि के प्रयास किये जाने चाहिए।

10. पर्याप्त प्रचार तथा प्रसार की सुविधा का विस्तार होना चाहिए। जिससे जनता समिति की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत हो सके। इससे पूंजी एकत्र करने में सुविधा होगी।

11. सदस्यों को दिये जाने वाले आकस्मिक ऋण को नियमित ऋण के प्रयोग के मूल्यांकन के बाद ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत शोधकार्य द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित को इस शोध कार्य से समिति की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक एवं उपयोगी सुझाव दिये गये हैं, जो सरकार एवं सरकारी मशीनरी एवं विभिन्न एजेंसियों के लिए भी लाभप्रद होंगे एवं विशेषकर दुर्ग जिले के सहकारी साख समितियों के लिए उनके नीति निर्धारण एवं भविष्य की योजना बनाने में सहायक सिद्ध होंगें। वित्तीय प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने पर पाया गया कि छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित भिलाई का वित्तीय प्रबंध श्रेष्ठ है एवं सामाजिक उत्थान में यह समर्पित एक महत्वपूर्ण वित्त प्रदान करने वाली संस्था है।

<u>संदर्भ ग्रंथ –सूची</u>

1. अग्रवाल, डॉ. एम.एल.–**<u>परिव्यय लेखांकन,</u>** आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2004
2. प्रो. अग्रवाल एवं फौजवार–**<u>मानव संसाधन एवं प्रबंध</u>,** आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स, 2011.
3. अग्रवाल, डॉ. जे.पी.– **<u>कृषि अर्थव्यवस्था</u>,** आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2001
4. Bhatia, H.L.-**<u>Public Finance,</u>** Noida : Vikas Publication House Pvt. Ltd., 2001.
5. बुन्देला, शंकर प्रताप सिंह –**<u>दीर्घकालीन कृषि साख का आर्थिक महत्व</u>**, लैण्ड बैंक जर्नल मार्च, 2003, पृ. 58, 60.
6. Chandan, J.S.- **<u>Statistics for Business</u>,** Noida : Vikas Publication Pvt.Ltd.,2011.
7. Chaudhary Prof. Ranjeet Rai **<u>"Constrants on Credit in rural development</u>**- Financial Express, April 1982.
8. छ.ग. राज्य आर्थिक सर्वेक्षण : 2000–2001, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय, रायपुर (छ.ग.).
9. जिला परिचय– **<u>एक दृष्टि में जिला पंजीयक,</u>** सहकारी संस्थाएं, दुर्ग
10. द्विवेदी एवं डॉ. राधेश्याम : **<u>म.प्र. सहकारी कृषि एवं ग्रामीण साख अधिनियम,</u>** सुविधा लॉ हाउस, भोपाल, 2000.
11. द्विवेदी एवं डॉ. राधेश्याम : **<u>म.प्र. सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सेवा (नियोजन, निबंधन तथा उनकी कार्य स्थिति) नियम 1983 अधिनियम,</u>** सुविधा लॉ हाउस, भोपाल, 2001.
12. गुप्ता, डॉ. एस.पी.–प्रबंधकीय लेखा विधि, आगरा : साहित्य भवन, 2005.

13. गोविल, ऋषि कुमार एवं त्रिपाठी : **भारतीय अर्थव्यवस्था**, एशिया बुक कम्पनी, इलाहाबाद, 1997.

14. गुप्ता, डॉ. एस.पी. : **प्रबंधकीय लेखा विधि**, साहित्य भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा, 2010

15. गर्ग, डी.पी. : **"समन्वित ग्रामीण विकास एवं सहकारिता"** शिवा प्रकाशन इंदौर, 1988.

16. जैन, डॉ. बी.एम. –**रिसर्च मेथडालॉजी,** जयपुर : रमेश पब्लिकेशन, 2001.

17. जैन, डॉ. एस.सी.–**उपभोक्ता व्यवहार,** भोपाल : कैलाश पुस्तक सदन, 2012.

18. जैन, डॉ. हेमचंद : **कृषि वित्त–सिद्धांत एवं व्यवहार**, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल.

19. जैन, पी.सी. : **सहकारिता** रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

20. कपूर डॉ. ज्योति–**वाणिज्यिक बैंकों में लाभदायकता एवं लाभ आयोजन,** शोध ग्रंथ, 2005.

21. Khan, K.L.- **Indian Business System,** Noida : Vikas Publication Pvt. Ltd., 2011.

22. करीम व खनूजा : **वित्तीय लेखांकन** साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2012.

23. कुलश्रेष्ठ, डॉ. आर.एस. : वित्तीय प्रबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा,

24. माहेश्वरी, पी.डी.– **बैंकिंग एवं राजस्व,** आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2007.

25. माथुर, डॉ. बी.एस.–**सहकारिता** आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 2011.

26. मिश्रा, डॉ.एस.पी. : **एकीकत ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

27. मिश्रा, डॉ. रमेन्द्र नाथ व झा, डॉ. लक्ष्मीधर : **छत्तीसगढ़ का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास,** सेन्ट्रल बुक हाऊस, रायपुर 1998.

28. मुखर्जी, डॉ. रविन्द्र नाथ : **सामाजिक शोध व सांख्यिकीय**, विवेक प्रकाशन, दिल्ली.

29. N. Ajit Kumar – **Co- Operation**, Delhi : Himalaya Publication House, 2000.

30. नौटियाल, डॉ. जयन्ती प्रसाद : **कृषित्तर ग्रामीण ऋण एवं साख समिति की भूमिका**, हिमाचल पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई, 2003

31. पुरी, बी.के. एवं मिश्र, एस.के. : **"भारतीय अर्थव्यवस्था**", हिमालया पब्लिशिंग हाऊस,मुम्बई, 1998.

32. प्रसाद, डॉ. आर. एवं केशरवानी डॉ. अनीता, **"आर्थिक विकास के संदर्भ में ग्रामीण विकास प्रबंध"** जर्नल ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट, एन.आई.आर.डी. हैदराबाद, 1992.

33. Reddy, Dr. P. Ramchandra, Sakuntala Dr. B, **"Growth and Performance of regional Rural Bank in India,** Rural India Feb.1998.

34. Singh, Shukhapal- **Marketing Management,** Noida : Vikash Publication Pvt. Ltd. 2011.

35. डॉ. सिन्हा एवं वार्ष्णेय –**मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां,** आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2011.

36. Sharda V.- The Theory of Co-Operation, Delhi : Himalaya Publication, 2011.

37. शुक्ल, डॉ. एस.एम.–**वित्तीय लेखांकन,** आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन, 1994.

38. सिंह, विजयेन्दपाल एवं निगम–**भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था,** आगरा : साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2008.

39. शर्मा, टी.आर., **अंकेक्षण,** साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा.

40. शुक्ला, डॉ. एस.एम. : **अंकेक्षण,** साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा.

41. शर्मा, हरिशचन्द्र, **बैंकिग विधि व व्यवहार**, साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा

42. सिंह, दुर्जन लाल एवं यादव, के.डी. " **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक**," नई दिल्ली,

43. शुक्ला, डॉ. एस.एम., **सांख्यिकी सिद्धांत एवं व्यवहार,** साहित्य भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा।

44. शुक्ला, डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार **"छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की प्रगति एवं उपलब्धियां,** शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

45. शुक्ल, डॉ.एस.एम. तथा सहाय, डॉ. एस.पी. : **व्यवसाय प्रबंध,** साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2010.

46. शर्मा, प्रो. आर.सी. : **सहकारिता देश और विदेश में**, राजीव प्रकाशन मेरठ.

47. सिंह, प्रताप, **इंटीग्रेटेड रूरल डेव्हलपमेंट एन एनालिसिस,** एस.एस. पब्लिकेशन दिल्ली।

48. सिंह, प्रमोद, और डॉ. तिवारी अभिताभ, **"ग्रामीण विकास संकल्पना, उपागम एवं मूल्यांकन"** पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद पृ. 152.

49. सिंह. एस.सी. : **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और वाणिज्य बैंक– एक समीक्षा ग्रामीण विकास समीक्षा** अंक 11 खंड 1 जन. 1992 पृ. 34,35,66

50. श्रीवास्तव, ए.के. **"इंटीग्रेटेड रूरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया",** दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1988, पृ. 180–205

51. स्वामीनाथन, एम.एस. : **"साइंस एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेव्हलपमेंट,"** कान्सेप्ट पब्लिकेशन नई दिल्ली पृ. 245–246.

52. Sarkar K.K., **<u>Development of Indian Agriculture : Role of Institutional Credit Agencies</u>** Economics Affairs. Jan/Feb. 1969.

53. Singh R.K. and P.P. Singh **<u>"India Co-operative receive department of Agriculture Economic</u>** (I.C.S.R. Delhi),1969."

54. वार्ष्णेय, डॉ. जे.सी.–**<u>वित्तीय प्रबंध,</u>** भोपाल : कैलाश पुस्तक सदन, 2011.

55. यादव, डॉ. दस संगार– **<u>बैंक ऋण वसूली,</u>** विविध आयाम, शोध ग्रंथ, 2007.

पत्रिकाएं

1. छत्तीसगढ़ सहकारी साख समिति मर्यादित, भिलाई : **वार्षिक प्रतिवेदन 2003 से 2012 तक ।**
2. **रजत पत्रिका** 2000 (स्मारिका)।
3. **दुर्ग जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2012।**
4. **जिला परिचय एक दृष्टि में**—जिला सांख्यिकी कार्यालय दुर्ग।
5. **छ.ग. राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2003—2012** आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर, (छ.ग.)।